



सतना। बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उचेहरा तहसील कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग ने तीन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। मैहर संभाग के कार्यपालन अभियंता ओमेंद्र सिंह के निर्देशन में उचेहरा वितरण केंद्र की टीम ने तहसील कॉलोनी में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान तहसील एवं जनपद कार्यालय में पदस्थ कुछ कर्मचारियों के सरकारी आवासों में बिना वैध विद्युत कनेक्शन के बिजली उपयोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत तीन प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान पटवारी रामकुमार कोल,तहसील कार्यालय सहायक रामनाथ वर्मा तथा शिक्षा शर्मा के आवासीय परिसरों में वैध बिजली कनेक्शन नहीं मिला। विभाग ने संबंधित व्यक्तियों को वैधानिक नोटिस जारी कर दिया है। निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने की स्थिति में विद्युत न्यायालय नागौद में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग द्वारा कुल 58 हजार 481 रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है। कार्रवाई में कनिष्ठ अभियंता उचेहरा के साथ लाइनमेन प्रमोद चर्मकार,सुशील कुशवाहा,सुनील केवट एवं उमेश कुशवाहा सहित अन्य कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

वैतन की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

मैहर। मैहर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने रुके हुए वेतन और विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आंदोलन प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द भुगतान की मांग की।आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनका वेतन रुका हुआ है,जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन से जल्द वेतन जारी करने और समस्याओं के समाधान की मांग की।प्रदर्शन के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और उठा दिया जाएगा।

शीतला माता मंदिर से बरम बाबा मंदिर तक की गई नालियों की सफाई

मैहर। आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शीतला माता मंदिर से बरम बाबा मंदिर तक नालियों की व्यापक साफ-सफाई कराई गई तथा क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वार्डवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं एवं उनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। स्वच्छ,सुंदर एवं स्वस्थ मैहर के निर्माण के लिए जनसहभागिता को और अधिक सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

62 वरिष्ठ नागरिकों को कराया जागगा तीर्थ दर्शन

मैहर। ग्राम पंचायत स्तर पर आमतौर पर विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं की चर्चा होती है,लेकिन जनपद पंचायत मैहर अंतर्गत ग्राम पंचायत भेड़ा में एक ऐसी पहल सामने आई है,जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ग्राम पंचायत भेड़ा में 'प्रधान तीर्थ दर्शन योजना' के शुभारंभ की घोषणा की गई है,जिसे क्षेत्र में एक अभिनव और सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार,इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। 62वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आवेदन पर भरे जाएंगे। इसके बाद 26 जनवरी को लकी झा के माध्यम से 62 पात्र लोगों का चयन किया जाएगा।

अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 13 को मैहर में मैहर। साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय अंकुर साहित्यिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा सर्वोच्च दादा रामकुमार जैन की स्मृति में 13 जून 2026,शनिवार को मध्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से चरना पैलेस मैहर में आयोजित होगा। कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले ख्यातिप्राप्त कवि एवं शायर अपनी रचनाओं से श्रोताओं की मंत्रमुग्ध करेंगे। कार्यक्रम का संचालन कानपुर के वरिष्ठ साहित्यकार के.के.अभिज्ञांत करेंगे।



मझगांव में पटना खुर्द की आदिवासी बस्ती में भीषण जल संकट

सतना।

जनपद पंचायत मझगांव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटना खुर्द की पटनी आदिवासी बस्ती इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रही है। शासन की तमाम नल-जल योजनाओं के दावों की धावा बताते हुए इस पूरी बस्ती के ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय



चाय-नाश्ते की दुकान की आड़ में चल रहा था शराब का कारोबार, पुलिस ने मारा छापा

मैहर।

अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मैहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक चाय-नाश्ते की दुकान पर दबिश देकर वहां से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक

के कब्जे से विभिन्न ब्रांडों की शराब जब्त की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक चाय-नाश्ते की दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां दुकान से शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब जब्त

कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अधेड़ की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या



मृतक के छोटे भाई और उसके साथियों पर लगा हत्या का आरोप,पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया

घटनास्थल से एक बाइक बरामद,आपसी मतभेद और अंधविश्वास बना विवाद की वजह

सतना।

अमरपाटन थाना क्षेत्र के किरहाई गांव में बीती रात एक अधेड़ व्यक्ति की कुल्हाड़ी (टांगी) मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात का आरोप मृतक के सगे छोटे भाई और उसके 5-6 साथियों पर लगा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

गाली-गलौज का विरोध करने पर किया हमला

जानकारी के अनुसार,रविवार और सोमवार की दरमियानी रात किरहाई गांव में करीब आधा दर्जन युवकों ने पटिराम कोल पिता श्यामलाल कोल के घर के बाहर आकर गाली-गलौज और शोर-शराबा शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब पटिराम घर से बाहर आए,तो घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि लहलुहान पटिराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

जादू-टोने का शक बनी हत्या की वजह

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपियों की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अमरपाटन टीआई (थाना प्रभारी) विजय सिंह परस्ते के मुताबिक,मृतक पटिराम कोल का अपने छोटे भाई सीताराम

सीएम हेल्पलाइन के मामलों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं: कलेक्टर



सरपंच और सचिव की घोर लापरवाही और मनमानी के चलते भीषण गर्मी में भी आदिवासियों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

एक ही हैडपंप के भरोसे पूरी बस्ती

आलम यह है कि पूरी पटनी आदिवासी बस्ती की प्यास बुझाने के लिए केवल एक ही चालू हैडपंप है,जो राजेश नामक ग्रामीण के

घर के पास स्थित है।सुबह होते ही इस हैडपंप पर पानी भरने के लिए लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी कई परिवारों को खाली हाथ लौटना पड़ता है।

मासूमों का बचपन पानी की कतार में

जल संकट का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस तपती धूप



में छोटे-छोटे मासूम बच्चे खेल-कूद छोड़कर हाथों में डब्बे और बाल्टियां लिए पानी के इंतजार में हैडपंप के पास बैठे रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यदि जल्द ही प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया,तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

नए आरटीओ रवि बरेलिया ने संभाला पदभार पारदर्शी व्यवस्था और सड़क सुरक्षा होगी प्राथमिकता

सतना।

लंबे समय से प्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल के तहत सतना जिले को नए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मिल गए हैं। सोमवार को प्रभारी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यालय पहुंचने पर परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पदभार संभालते ही नए आरटीओ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और लंबित मामलों,राजस्व वसूली,सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कड़े निर्देश दिए।

आरटीओ के सामने होंगी ये चुनौतियाँ

सतना परिवहन विभाग में व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना नए आरटीओ के लिए कांटों भरा ताज साबित हो सकता है। पदभार संभालते ही उनके सामने कई पुरानी और जटिल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।

स्टाफ की कमी और दलालों का मकड़जाल

विभाग में लंबे समय से कर्मचारियों की भारी



कमी है,जिसका सीधा फायदा उठाकर आरटीओ कार्यालय में दलालों का दबदबा बढ़ा हुआ है। आम जनता को सीधे खिड़की से सुविधाएं दिलाना और दलाली प्रथा पर लगातार कसना सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

बस संचालकों की नगनानी पर अंकुश

जिले में बस अपॉरेटों की मनमानी चरम पर है। नियमों को ताक पर रखकर दौड़ने वाली बसों पर नकेल कसना नए अधिकारी के लिए बड़ी चुनौती है।

किराया सूची का अभाव:

बसों में मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें आम हैं। हर बस में आधिकारिक किराया सूची (फेयर लिस्ट) चपकाना और उसका पालन करवाना अनिवार्य करना होगा।

बस स्टैंड से संचालन की चुनौती

शहर के नए बस स्टैंड से बसों का सुचारू

और अनिवार्य संचालन सुनिश्चित कराना,ताकि यातायात व्यवस्था सुधर सके।

यात्रियों की सुरक्षा (इमरजेंसी गेट)

अधिकांश बसों में आपातकालीन द्वार (इमरजेंसी एग्जिट) या तो जाम हैं या नियमों के अनुकूल नहीं हैं। सड़क हादसों के मद्देनजर बसों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करवाना बेहद जरूरी है।

अवैध परिवहन पर कार्रवाई

जिले में बिना परमिट,ओवरलोड और अवैध रूप से संचालित हो रहे व्यावसायिक वाहनों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना।

वर्जन-

शासन की मंशानुसार परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी,सुगम और जनहितैषी बनाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आम नागरिकों तक विभागीय सेवाएं सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचें, इसके लिए पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना होगा।

-रवि बरेलिया
नवागत आरटीओ,सतना



छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित

सतना।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करही कला में शासन की योजना के तहत छात्र-छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालय आने-

जाने में सुविधा प्रदान कर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर करही कला की सरपंच श्रीमती स्नेहलता पुष्पेंद्र सिंह,पंच अमन प्रताप सिंह,इंद्रपाल सिंह एवं केदार यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को

साइकिलें वितरित करते हुए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। साइकिल प्राप्त कर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने शासन की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त किया।

क्या नगर पालिका मृत आत्माओं को अंतिम संस्कार हेतु दो बूंद जल भी नहीं दे सकती: प्रभाव



क्या हो सकती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसका अंतिम संस्कार करने परिजन मुक्तिधाम पहुंचते हैं,तब वहां मृत आत्मा के आचमन एवं अंतिम संस्कार संबंधी धार्मिक क्रियाओं के लिए आवश्यक जल तक उपलब्ध नहीं होता। हिंदू परंपराओं में अंतिम संस्कार के उपरांत शुद्धिकरण स्नान एवं अन्य धार्मिक विधियों के लिए जल की आवश्यकता होती है,लेकिन मुक्तिधाम में जल व्यवस्था उप रहने के कारण शोकाकुल परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतों का समाधान केवल एक औपचारिकता (खानापूर्ति) नहीं होना चाहिए,बल्कि वह संतोषजनक और स्थायी होना चाहिए ताकि आमजन को राहत मिल सके। बैठक के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई और कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए।जिसमें राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास स्वास्थ्य विभाग,शिक्षा विभाग आदि।

नाम सुधार सूचना

मनकि सुरेश सिंह उम्र 39 वर्ष पिता श्री श्याम सुंदर सिंह निवासी खरे कुटीर के पीछे प्रेम बिहार कॉलोनी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. का होकर निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :- कि मैं उक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र मे नाम स्वास्तिक सिंह (SWASTIK SINGH) लिखा हुआ है। जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पुत्र का नाम गंगा सिंह लिखा है जिसे सुधारकर स्वास्तिक सिंह किया जाए। मेरे पुत्र का आधारकार्ड में नाम सुधरवाने हेतु यह शपथ पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हू।

स्थान - सतना
दिनांक - 08.06.2026

शपथकर्ता





कांटीसीरो वरेजन धाम में संगीत मय श्रीमद् भागवत, कथा आज से

अमानगंज। पन्ना जिले की अमानगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम कांटीसीरो में स्थित प्रमुख देवस्थान वरेजन धाम में संगीत मय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन स्थानीय और क्षेत्रीय भक्तों के विशेष सहयोग से आयोजित हो रहा है। कथा में वंदनाम धाम से पधार रहे प्रमुख वक्ता पंडित श्री सरकार कृष्ण जी महाराज जो बागेश्वर धाम की विशेष कृपा पात्र हैं वह कथा का वाचन करेंगे जबकि कथा में मुख्य स्रोतों के रूप में पंडित राजाराम गर्ग जी कथा का श्रवण करेंगे कथा में अमानगंज के अलावा चिकल्हाई गोरा मडेयन हिनौता डहारां पवैया महेवा सहित आसपास के तकरीबन 50 गांव के भक्तों का विशेष सहयोग इस आयोजन में होगा आयोजन समिति ने प्रत्येक ग्राम वासियों से आग्रह किया है की आयोजन में पहुंचकर धर्म लाभ लें कथा दोपहर 3:00 बजे से आरंभ होगी जो हरि इच्छा तक चलेगी

महाविद्यालय में पौधरोपण

बड़वारा। शासकीय महाविद्यालय बड़वारा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रश्क पेड़ मां के नाम र रअभियान के अंतर्गत पौधा रोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृक्षरोपण के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्राओं तथा समाज में चेतना जागृत करना रहा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.एल. के.सिंह, क्रीड़ा अधिकारी डॉ. आदित्य गढ़वाल एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ.सुजीत सिंह के नेतृत्व में समस्त शिक्षक,कर्मचारी गण तथा छात्र छात्राओं ने पर्यावरण के संरक्षण हेतु संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉ. आर.के.त्रिपाठी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बरही एवं डॉ. सुनील कुमार त्रिपाठी विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग शासकीय तिलक कलाकोत्तर महाविद्यालय कटनौ की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पांडेय का दुर्लभ मुद्रा संग्रह बना आकर्षण का केंद्र

पन्ना। पन्ना के आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पांडेय का दुर्लभ मुद्रा संग्रह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने मुगलकाल, ब्रिटिश काल और आजाद भारत के विभिन्न सिक्कों व नोटों को वर्षों से सहेज कर रखा है। खास बात यह है कि उनके संग्रह में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर वाले एक और दो रुपये के दुर्लभ नोट भी शामिल हैं, जो संग्रह को और विशेष बनाते हैं। पन्ना जिले के आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पांडेय का दुर्लभ मुद्रा संग्रह इन दिनों लोगों के बीच आकर्षण और चर्चा का विषय बना हुआ है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन-देन के बढ़ते दौर में जहां पुरानी मुद्राएं धीरे-धीरे लोगों की स्मृतियों से ओझल होती जा रही हैं, वहीं मुकेश पांडेय ने भारत की ऐतिहासिक मुद्रा विरासत को वर्षों से सहेज कर रखा है। उनका यह संग्रह न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए रोचक है, बल्कि नई पीढ़ी को देश की आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।मुकेश पांडेय के संग्रह में मुगलकाल, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत के विभिन्न कालखंडों की मुद्राएं शामिल हैं। उनके पास मुगल बादशाह शाह

शासकीय संस्कृत महाविद्यालय देवेंद्रनगर में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, नए सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित

देवेंद्रनगर (पन्ना)। क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, देवेंद्रनगर (वार्ड क्र. १०, सतना रोड) में शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ के लिए प्रवेश प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ हो गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नीरज शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आधुनिक एवं पारंपरिक शिक्षा के अनूठे समन्वय के साथ छात्र यहां अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। प्राचार्य डॉ. शर्मा ने गौरवपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर अनेक छात्रों का भारतीय सेना में धर्मगुरु (विपरीत परिस्थितियों में भी धार्मिक और नैतिक संबल देने वाले पद) के रूप में प्रतिष्ठित चयन हुआ है, जो नगर और पूरे जिले के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है।

प्रवेश एवं संपर्क सूत्र-

महाविद्यालय प्रशासन और प्राचार्य द्वारा क्षेत्र के अधिक से अधिक छात्रों से अपील की गई है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और समय रहते अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की

तकनीकी सहायता, जानकारी या ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए छात्र महाविद्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी [महेशकमअचंद/उच्च.हवअ.पद पर संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए आई.टी. सेल (PC ब्रम्सस) के मोबाइल नंबरों पर सीधे बात कर अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं।

पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिये किया प्रेरित

कटनी। बारडोली वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष आर. एल. चौधरी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल स्रोतों का संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम करते हुए स्थानीय शिव मंदिर में सघन पौधरोपण किया गया, इस अवसर पर इनका रहा महत्वपूर्ण सहयोग, बारडोली वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष आर एल चौधरी, काशी विश्वकर्मा, रविकांत राय, राजेश चौधरी, माया गुप्ता, रूपा बर्मन, कार्यक्रम अधिकारी शिवकुमार चौधरी एवं बारडोली वेलफेयर सोसायटी के सेक्टर प्रभारी गणपत कोल सहित संस्था के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपनी अपनी सहभागिता प्रदान किया।

पन्ना, गुनौर, पवई, अमानगंज, रेपुरा, शाहनगर, अजयगढ़

टालते रहे अधिकारी..सोते रहे नेता, गांव वाले बन गए दशरथ मांझी पानी से परेशान लोगों ने खुद खोद डाला

पन्ना। पन्ना जिले के लोगों ने वो कमाल कर दिया जो सदियों पहले दशरथ मांझी ने किया था। जिन्हें माउटेन मैन के नाम से जाना जाता है. वहीं पन्ना जिले के आदिवासी बाहुल्य कल्दा पठार क्षेत्र की ग्रामपंचायत सगरा के जैतपुरा गांव में ग्रामीणों ने नेताओं से लेकर अधिकारियों के पास कई बार चक्कर लगाए लेकिन किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया. फिर पानी से परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद ही तालाब खोद दिया जिले के आदिवासी बाहुल्य कल्दा पठार क्षेत्र के जैतपुरा गांव में ग्रामीणों ने एकजुटता और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. वर्षों से जल संकट झेल रहे ग्रामीणों ने जब शासन-प्रशासन से मदद नहीं मिली तो खुद तालाब निर्माण का बीड़ा उठाया. श्रमदान किया, चंदा एकत्र किया और जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई करवा दी. अब गांव में बड़ा तालाब तैयार हो चुका है. जिससे ग्रामीणों आने वाले समय में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। पन्ना जिले के आदिवासी बाहुल्य कल्दा पठार क्षेत्र



की ग्रामपंचायत सगरा के जैतपुरा गांव में ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास और आत्मनिर्भरता का ऐसा उदाहरण पेश किया है. जो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गया है. वर्षों से पेयजल संकट और मवेशियों के लिए पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों ने आखिरकार अपनी तकदीर खुद बदलने का फैसला किया।

करीब चार लाख रुपये जुटाए गए-

ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत स्तर पर तालाब निर्माण और पुराने जल स्रोतों के गहरीकरण की मांग रखी. पंचायत में प्रस्ताव दिए गए और शिकायतें भी की गईं. लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद गांव के लोगों ने बैठक कर स्वयं तालाब बनाने का निर्णय लिया. शुरुआत में ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब की खुदाई शुरू की. लेकिन गहरीकरण के लिए मशीनों की जरूरत महसूस हुई. तब गांव के लोगों ने आपस में चंदा एकत्र किया. किसी ने दो हजार रुपये तो किसी ने चार हजार रुपये का सहयोग दिया. इस तरह करीब चार लाख रुपये जुटाए गए और जेसीबी मशीन बुलाकर तालाब की गहरी खुदाई करवाई गई।

मंदिर के सामने पशुओं का डेरा, श्रद्धालुओं को हो रही भारी परेशानी

पन्ना। नगर के प्रसिद्ध अनंत श्री प्राणनाथ जी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इन दिनों आवारा एवं निराश्रित पशुओं का जमावड़ा बना हुआ है। मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में गाय एवं बैल दिनभर बैठे रहते हैं, जिससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन प्रवेश मार्ग पर पशुओं के बैठे रहने से रास्ता संकरा हो जाता है। कई बार पशु अचानक उठकर इधर-उधर दौड़ पड़ते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व में भी कई श्रद्धालु इन पशुओं की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। गर्मी के मौसम में पशु मंदिर परिसर की दीवारों और छायादार स्थानों के आसपास डेरा जमाए रहते हैं। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से परेशानी होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थल के मुख्य मार्ग पर इस प्रकार की स्थिति उचित नहीं है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नगरवासियों ने नगर पालिका परिषद एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग से निराश्रित पशुओं को हटाने तथा उनके लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित एवं सुगमता से मंदिर में दर्शन कर सकें। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो किसी दिन गर्मी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन को इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।



वन विभाग से मारपीट के मामले में 2.5 हजार के इनामी आरोपी की गिरफ्तारी, अजयगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ग्वालियर से पकड़ा गया फरार आरोपी शोलू पांडेय

आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा 2.5 हजार रुपये का इनाम किया गया था घोषित

अजयगढ़। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा तथा जान से मारने की धमकी देने के गंभीर प्रकरण में फरार चल रहे 2.5 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। दिनांक 23 अप्रैल 2026 को वन परिक्षेत्र धरमपुर की बीट पिछा में वन विभाग का अम्ला नियमित गश्त पर था। गश्त के दौरान करतल रोड स्थित छटवांमील चौराहे के पास पथरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु चालक वाहन को तेज गति से लेकर भाग निकला। वन अमले द्वारा पीछा कर बीट सिलह्राई के कक्ष क्रमांक आर-26 के समीप वाहन को रोका गया। पूछताछ में चालक जयकरण अहिरवार निवासी देवागांव ने बताया कि वह बिना किसी वैध दस्तावेज के पिछा क्षेत्र के



जंगल से पथर परिवहन कर रहा था। वन अमले द्वारा अवैध परिवहन की कार्रवाई की जा रही थी, तभी आरोपी शोलू पाण्डेय एवं उसके पिता लखनलाल पाण्डेय उर्फ छोट मुन्ना मौके पर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज, धक्का-मुक्की एवं मारपीट की। आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए वनपाल की जेब से ट्रैक्टर की चाबी एवं मोबाइल फोन छीन लिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध पथर से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से जबरन छुड़ाकर भगा दिया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना अजयगढ़ में आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की

सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विवेचना प्रारंभ की गई। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना महोदय द्वारा उक्त आरोपियों पर 2.5-2.5 हजार रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पन्ना एवं थाना अजयगढ़ की संयुक्त टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी तथा तकनीकी साधनों का विश्लेषण किया जा रहा था। लगातार प्रयासों के दौरान मुखबिर सूचना एवं साइबर सेल से प्राप्त तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस टीम को आरोपी शोलू

पाण्डेय उर्फ यश पाण्डेय के ग्वालियर क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन उपरांत पुलिस टीम ने ग्वालियर पहुंचकर योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी शोलू पाण्डेय को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट एवं अन्य अपराधिक प्रकृति के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के संपूर्ण अपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है।

नाम पता आरोपी-

शोलू पाण्डेय उर्फ यश पाण्डेय पिता लखनलाल पाण्डेय निवासी पिछा थाना अजयगढ़ जिला पन्ना।

सराहनीय योगदान-

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरी. रोहित मिश्रा, थाना प्रभारी अजयगढ़ निरी. हरि सिंह ठाकुर, प्र.आर. खेमचन्द्र राय, आर. अभिषेक यादव, महेन्द्र चहार एवं सायबर सेल टीम पन्ना की सराहनीय भूमिका रही।

थाना प्रभारी रैपुरा के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को शिकायत जमीन धोखाधड़ी और परिवार पर कार्रवाई के आरोप

पन्ना। जिले के रैपुरा क्षेत्र के निवासी संतराम राय ने थाना प्रभारी रैपुरा महोदय के माध्यम से पुलिस अधीक्षक पन्ना को शिकायत पत्र सौंपकर जमीन धोखाधड़ी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, संतराम राय ने वर्ष 2014-15 में राजेश जैन से जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री उनके पास उपलब्ध है। उनका आरोप है कि बाद में उसी जमीन को कथित रूप से दोबारा बेच दिया गया और वर्षों से निवासरत होने के बावजूद उन्हें बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा



दिला दिया गया। संतराम राय ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे विवाद के दौरान उनके परिवार के सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई। उनके अनुसार, उनके बेटे, पत्नी, बड़े भाई नंदकिशोर राय, उनकी पत्नी तथा उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही हो सकेगी।

ख़बर संक्षेप

श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम में हनुमंत कथा में आस्था का महासागर

रीवा। विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम में इन दिनों चल रहे वार्षिकोत्सव एवं रथापूजा दिवस महोत्सव पर आयोजित श्रीहनुमंत कथा में श्रद्धालुओं का जनरेलाब उमड़ पड़ा। धाम परिसर में श्रद्धाभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां दूर-दूराज से पहुंचे हजारों भक्तों ने कथा का पुण्य लाभ अर्जित किया। कथा के दौरान भगवान श्रीराम और हनुमंत लला की महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। कथा के माध्यम से धर्म,संस्कार और जीवन मूल्यों से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों ने उपस्थित जनसमुह को गहराई से प्रभावित किया। पूरा वातावरण जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयघोष से गुंजता रहा। श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर पंडित आदर्श कृष्ण शारंगी एवं कथा आयोजन समिति के कुशल मानदलगत ने 6 जून से प्रारंभ हुआ यह भव्य धार्मिक आयोजन 12 जून तक चलेगा। आयोजन के प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस महोत्सव की लोकप्रियता और आस्था की गहराई को दर्शा रही है। आयोजन मंडल के अनुसार 11 जून को भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से संत-महात्मा एवं धर्माचार्य एवं विदेशी भक्तगण आम लेकर धर्म,समाज और राष्ट्रहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन की लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्रीरामलिला,श्रीहनुमान महायात्रा,मजन-कोर्रन एवं विशाल भंडार का आयोजन भी किया जा रहा है।जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल बना हुआ है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनकर उभरा है, बल्कि समाज को एकजुट कर संस्कार,सेवा और सद्बुद्धिना का संदेश भी दे रहा है।

औरैय उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई एक जेसीबी एवं चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां कि गई जब मऊगंज
जिले में अवैध उत्खनन एवं खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देशन में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिंधाथं महावीरपुर तालाब क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर एक जेसीबी मशीन तथा चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त की गई । जब्त की गई जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर-ट्रॉलियां को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है । कलेक्टर संजय कुमार जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी, संयुक्त निरीक्षण एवं रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि अवैध उत्खनन अथवा खनिज परिवहन संबंधी किसी भी गतिविधि को जानकारी तत्काल प्रशासन एवं पुलिस को दें, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके।

रीवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ!

रीवा । रेलवे स्टेशन की नई ऑटोमैटिक पार्किंग व्यवस्था यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। स्टेशन परिसर में लगाए गए ऑटोमैटिक बूम बैरियर सिस्टम के तहत रड्डींप एंड गोर्श के लिए मात्र 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जिसे लेकर यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। एक यात्री ने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी स्टेशन पार्किंग में केवल 8 मिनट 8 सेकंड के लिए खड़ी की थी, लेकिन उनसे ₹47.20 (₹40 बेस फेयर + 18% जीएस्टडी) शुल्क वसूल लिया गया। उनका कहना है कि स्टेशन के बाहर ट्रैफिक, बुजुर्ग यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक छोड़ने और सामान उतारने जैसी प्रक्रियाओं में ही 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है। यात्रियों का आरोप है कि निर्धारित 5 मिनट की सीमा एक सेकंड भी पार होते ही सिस्टम सीधे न्यूनतम पार्किंग शुल्क लागू कर देता है।

बीच सड़क पर रोककर वसूली, विरोध करने पर मारपीट की धमकी; वाहन चालकों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश

नगर पालिक निगम रीवा में बाजार बैठकी वसूली व्यवस्था एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। शहर के विभिन्न मार्गों पर ठेकेदार के कथित गुगों द्वारा खुलेआम अवैध वसूली किए जाने के आरोप लग रहे हैं। वाहन चालकों, व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिक निगम के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर वाहनों को रोक-रोक कर मनमाने तरीके से रकम वसूली जा रही है, जबकि इस पर रोक लगाने वाला प्रशासन मुकदशक बना हुआ है। वाहन चालकों का आरोप है कि रीवा शहर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर ठेकेदार द्वारा गुगों की नियुक्ति कर सड़कों में तैनाती कर दी गई है, जो लॉडिंग-अनलॉडिंग वाहनों के साथ-साथ ऑटो चालकों, छोटे व्यापारियों और यहां तक कि मोटरसाइकिल से सामान ले जाने वाले लोगों से भी पैसे की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार रीवा शहर से केवल गुजरने वाले वाहनों को भी नहीं छोड़ा जाता और उनसे जबरन वसूली की जाती है।

एसजीएमएच में सोनोग्राफी जांच के लिए मरीजों को हफ्ते भर की वेटिंग

निजी केंद्रों में जांच कराने मजबूर हो रहे मरीज

दिन भर मटकते है मरीज फिर भी नहीं मिल पा रही है राहत

एसजीएमएच में सोनोग्राफी जांच के लिए मरीजों को हफ्ते भर की वेटिंग

रीवा। संजय गांधी अस्पताल में ओपीडी मरीजों को सोनोग्राफी जांच के लिए हफ्ते से लेकर महीने भर बाद जांच के लिए बुलाया जा रहा है। इस तरह जांच की लंबी वेटिंग मिलने से कष्ट में जूझ रहे मरीज निजी केंद्रों में जांच और इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में सोनोग्राफी जांच सेंटर है। यहां दो मशीन मौजूद है जिससे मरीजों की जांच की जाती है। संजय गांधी अस्पताल और गांधी मेमोरियल अस्पताल के भर्ती मरीजों की जांच यहां होती है। इसके अलावा ओपीडी के मरीजों की भी सोनोग्राफी जांच के लिए यहां भेजा जाता है। बताया गया है कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पांच पर हैं, जिसमें तीन रिक्त हैं और दो भरे हैं। नियमित तकनीकी कर्मचारी भी नहीं हैं, ज्यादातर काम आउटसोर्स के कर्मचारियों से लिया जाता है। अस्पताल के सोनोग्राफी जांच सेंटर में प्रतिदिन औसतन 130 मरीजों की सोनोग्राफी जांच होती है। इनमें ज्यादातर संख्या गायनी और सर्जरी विभाग के भर्ती मरीजों की रहती है। बताते चलें कि जो मरीज लोकल है उनको भले ही मिलने वाली ताररख अधिक न लगे लेकिन जो लोग दूर

रीवा। शहर में अवैध जुआ गतिविधियों की सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ फड़ पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से फड़ संचालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ताश के 52 पत्ते और करीब 10 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही कई जुआरी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नया तालाब के समीप स्थित हरिजन बस्ती में लंबे समय से जुआ खेलने की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि पत्ता में जुए को फड़ संचालित की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निशा मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से बताए गए स्थान पर दबिश दी। अचानक हुई कार्रवाई

विश्व योग दिवस की तैयारियां जोर-शोर से, फ्री लाइव योगा सेशन से अब तक जिले के 9503 लोग जुड़े

रीवा । जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए आयुष विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डिजिटल माध्यम से विश्व योग दिवस से जुड़ी गतिविधियों का लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में जिला आयुष अधिकारी डॉ. शारदा मिश्रा ने बताया कि विश्व योग दिवस के लिए फ्री लाइव योगा सेशन प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक जिले के 9503 व्यक्ति जुड़कर नियमित योगाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। विभाग के योग ऐप में भी अब तक 1851 लोगों ने ऑनलाइन पंजीजन कराया है। आयुष विभाग से जुड़े योग मित्र और योग सखी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूलों तथा ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन योग जागरूकता शिविर लगाकर बड़ी संख्या में लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि जिले भर में आयुष विभाग द्वारा संचालित 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बड़ी संख्या में योग मित्र और योग सखी बनाए गए हैं। इनके द्वारा घर-घर जाकर लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सभी आयुष्मान मंदिरों में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग के प्रचार-प्रसार तथा शिक्ष के अधिक लोगों को महिमा देने लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। देश के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों को निजीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल कराने के लिए 14 जून को सुबह 6.15 बजे से 7.35 बजे तक नियमित योगाभ्यास करने वालों का ऑनलाइन पंजीजन होगा। कोई भी व्यक्ति टोलफ्री नम्बर 18003157008 पर मिसकॉल देकर अपना पंजीजन करा सकता है।

गौशाला के नाम पर घोटाला: कागजों में गौवंश, खातों में करोड़ों हकीकत में गौशालाएं खाली, फर्जी गिनती पर हर माह लाखों का भुगतान

निरीक्षण में न गौवंश मिला न चारा-भूसा, प्रशासन मौन

मऊगंज जिले में गौमाता के नाम पर सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाई जा रही है। ग्राम पंचायतों और समूहों द्वारा संचालित गौशालाओं में कागजों पर सैकड़ों गौवंश दर्ज कर भरे महीने लाखों रुपये का भुगतान उठाया जा रहा है। मगर कई गौशालाओं का नाम सिर्फ कागजी ग्राफ बढ़ाने तक ही सीमित है बहुत सी गौशाला मे न पर्याप्त गौवंश, न चारा-भूसे का स्टॉक, न पानी, न कर्मचारी, सबसे गंभीर बात यह कि पशुपालन विभाग के अधिकारी बिना भौतिक सत्यापन के ही फर्जी आंकड़ों पर हस्ताक्षर कर भुगतान की हरी झंडी दे रहे हैं।जमीनी हकीकत यह है कि गौशाला संचालकों ने क्षमता से कई गुना अधिक गौवंश कागजों में दिखा रखें हैं। 50 गौवंश की क्षमता वाली गौशाला में 200 गौवंश दर्ज हैं। पशुपालन विभाग ने आंख मूंदकर इसे



नियमों को दरकिनार कर बीच सड़क पर हो रही वसूली

जानकारों के अनुसार रीवा नगर पालिक निगम द्वारा बाजार बैठकी वसूली के लिए नियुक्त कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित हैं। नियमानुसार वसूली करने वाले कर्मचारियों के पास वैध पहचान पत्र, निर्धारित वर्दी तथा अधिकृत दस्तावेज होना चाहिए। साथ ही वसूली की प्रक्रिया भी निर्धारित स्थानों पर ही की जानी चाहिए। लेकिन आरोप है कि इन नियमों का खुलेआम

उल्लंघन किया जा रहा है। ठेकेदार के कथित कर्मचारी बिना किसी स्पष्ट पहचान के सड़कों पर वाहनों को रोककर वसूली कर रहे हैं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि वाहन चालकों में भय और असुरक्षा का माहौल भी बन रहा है।

पैसा देने में देरी हुई तो हाथापाई पर उतर आते हैं कथित वसूलीकर्ता

वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि यदि कोई व्यक्ति वसूली को वैधता पर सवाल उठाता है या तत्काल पैसे देने में असमर्थता जताता है तो कथित वसूलीकर्ता अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। कई लोगों ने मारपीट और धमकाने जैसी घटनाओं की भी शिकायत की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर में आए दिन ऐसे विवाद सामने आते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती। यही कारण है कि कथित वसूलीकर्ताओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं।

प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे

नगर पालिक निगम रीवा के कार्यालय में कर्मचारी

ओपीडी व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। अस्पताल में मरीजों को शाम के समय विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श नहीं मिल रहा। तीन साल पहले शुरू की गई यह व्यवस्था अब अधोषि्त रूप से बंद हो चुकी है। लिहाजा गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नपर्याप्त जांच एवं उपचार सुविधा नहीं मिल पा रही है। दिन के समय ही मरीज अस्पताल में कतारबद्ध होकर इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रबंधन को भी राजस्व की क्षति हो रही है।

दोबारा परामर्श लेने में होती है समस्या

उल्लेखनीय है कि अत्यधिक गर्मी और ठंड के दिनों में अस्पताल परिसर की ओपीडी का नजारा ऐसा रहता है कि ओपीडी की लाइन में लगे मरीज और स्ट्रेचर पर पड़े मरीज अपनी बारी का इंतजार करते परेशान होते रहते हैं। सुबह की ओपीडी में चिकित्सक को दिखाने के बाद कई बार जांच रिपोर्ट दिखाकर दोबारा परामर्श लेने में मरीजों को समस्या होती है। आलम यह है कि दूरदराज से इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं न तो चिकित्सक समय पर उनका उपचार करते हैं और ना ही समय पर जांच रिपोर्ट मिलती है। ऐसे में मरीजों को अस्पताल परिसर में ही सोने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है।

एक दशक की कानूनी लड़ाई के बाद चली जेसीबी, विवादित भूमि से हटाया कब्जा, कई आदिवासी परिवार बेघर

जेसीबी मशीन को हटाने के लिए पुलिस

रीवा। शहर के समान थाना क्षेत्र में सोमवार को प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के पालन में बड़ी कार्रवाई करते हुए विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाय़ा। राजस्व अमले और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई के दौरान कई वर्षों से निवास कर रहे आदिवासी परिवारों के मकान हटाए गए। जानकारी के अनुसार भूमि स्वामित्व को लेकर पिछले कई वर्षों से न्यायालय में विवाद चल रहा था। फरियादी संजय सोनी द्वारा तहसील न्यायालय में भूमि खाली कराने के लिए याद प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान खसरा क्रमांक 250, 253 एवं 254 से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की सुनवाई के बाद तहसील न्यायालय ने 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया था। सोमवार को उसी आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जेसीबी मशीनों की मदद से विवादित भूमि पर बने निमांण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। बताया जा रहा है कि भूमि पर



कब्जा हटाने के लिए फरियादी पक्ष पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा था। मामला स्थानीय थाना, राजस्व न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालयों से आदेश मिलने के बावजूद भूमि लंबे समय तक खाली नहीं हो सकी थी। इसके बाद प्रशासन ने आवश्‍यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की। तहसीलदार अनुपम पांडे ने बताया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर की है। कार्रवाई के बाद बेदखल किए गए परिवारों ने



नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वे कई दशकों से उक्त भूमि पर निवास कर रहे थे और उनके पूर्वज भी यहीं रहते थे। परिवारों का आरोप है कि अचानक हुई कार्रवाई से उनके सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित लोगों का कहना है कि वर्षों से बसे होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त राहत या वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई। कार्रवाई के दौरान महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे, जिनमें प्रशासनिक कदम को लेकर चिंत दिखाई दी।

वनाधिकार एक्ट की संभागीय कार्यशाला 10 जून को

रीवा । वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में संभागीय कार्यशाला 10 जून को आयोजित की जा रही है। कार्यशाला कमिश्नर कार्यालय सभागार में सुबह 11 बजे से आरंभ होगी। इस संबंध में कमिश्नर बीएस जानमेद ने बताया कि कार्यशाला में आयुक्त सह संचालक जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल के विषय विशेषज्ञों द्वारा सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में अवधारणा तथा प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, वन मण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहयोग आयुक्त तथा जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग, सभी एसडीएम तथा एसडीओ वन कार्यशाला में शामिल रहेंगे।

रीवा, मऊगंज, सिंगरोली हरिभूमि 10

बाजार बैठकी के नाम पर ‘गुंडा टैक्स’! रीवा में ठेकेदार के गुगों पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

नगर पालिक निगम रीवा के कार्यालय में कर्मचारी

सवाल
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक निगरानी को लेकर उठ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर पालिक निगम और जिला प्रशासन के संज्ञान में यह स्थिति होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। नागरिकों का आरोप है कि यदि वसूली नियमों के अनुसार हो रही है तो फिर सड़कों पर वाहन रोककर पैसा क्यों लिया जा रहा है और यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।

रीवा महापौर की सक्रियता और जमीनी हकीकत पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि रीवा नगर पालिक निगम के महापौर अजय मिश्रा ‘बाबा’ अक्सर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर नागरिक समस्याओं के समाधान को लेकर सक्रिय दिखाई देते हैं। विभिन्न मामलों में अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी देखा जाता है, लेकिन बाजार बैठकी के नाम पर हो रही कथित अवैध वसूली पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से आमजन के बीच सवाल खड़े

14 वर्षों पुराने बहुचर्चित महसांव भूमि विवाद में आया ऐतिहासिक फैसला, मंदिर की संपत्ति होने का दावा खारिज

जेसीबी मशीन को हटाने के लिए पुलिस

रीवा। जिले के गृह तहसील अंतर्गत ग्राम महसांव की बहुचर्चित भूमि को लेकर पिछले 14 वर्षों से चल रहे न्यायिक विवाद में जिला न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मंदिर प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत दावे को निरस्त करते हुए संबंधित भूमि को मंदिर की संपत्ति मानने से इंकार कर दिया तथा भूमि पर प्रतिवादी पक्ष के स्वामित्व को बरकरार रखा। जानकारी के अनुसार ग्राम महसांव स्थित खसरा क्रमांक 468, 469, 470, 471, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 एवं 484 सहित कुल 13 खसरे की लगभग 19.05 एकड़ भूमि को लेकर वर्ष 2012 में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। यह वाद भूमि रामजी, लक्ष्मणजी, हनुमनजी विराजमान रामलला मंदिर महसांव की ओर से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा ग्राम व्यवहार वाद क्रमांक 37/2012 के रूप में दायर किया गया था। वाद में दावा किया गया था कि उक्त भूमि मंदिर की संपत्ति है और इसे मंदिर की भूमि घोषित करते हुए इसके प्रबंधन का अधिकार कलेक्टर रीवा को प्रदान किया जाए। मामले में डॉ. अमित चौरसिया, डॉ. अभिषेक चौरसिया, स्वर्णगी महेश चौरसिया, दुर्गा चौरसिया, अंशु चौरसिया एवं अन्य पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, मौखिक साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रीवा की अदालत ने 19 दिसंबर 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए मंदिर की ओर से प्रस्तुत दावा निरस्त कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में दावा कि उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर विवादित भूमि को मंदिर की संपत्ति सिद्ध नहीं किया जा सक। निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध मंदिर पक्ष की ओर से 17 जनवरी 2025 को स्थिल अपील क्रमांक आरसीए-09/2025 प्रस्तुत की गई। यह अपील सोमहट जिला न्यायाधीश रीवा की अदालत में दायर की गई, जिससे निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए भूमि को मंदिर की संपत्ति घोषित किए जाने की मांग दोहराई गई। जिला न्यायालय ने भी बरकरार रखा निचली अदालत का



फैसला
अपील की सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश जितेन्द्र नारायण सिंह ने प्रकरण से जुड़े समस्त दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, पूर्व न्यायिक निर्णयों एवं दोनों पक्षों की दलीलों का सूक्ष्म परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि विवादित भूमि को मंदिर की संपत्ति मानने के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आया कि प्रतिवादी पक्ष ने उक्त भूमि 10 जून 1980 को दामोदरदास से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। इसके बाद भूमि का नामांतरण भी प्रतिवादीगण के पक्ष में विधिवत किया गया था, जिसकी पुष्टि राजस्व मंडल नवागिरर द्वारा भी की जा चुकी थी। इन तथ्यों को आधार बनाते हुए जिला न्यायालय ने 5 जून 2026 को मंदिर पक्ष की अपील खारिज कर दी तथा निचली अदालत के निर्णय को ख़ासत रखते हुए स्थाप किया कि विवादित भूमि मंदिर अथवा उसके प्रबंधक कलेक्टर रीवा की संपत्ति नहीं है। फैसले के साथ ही वर्ष 2012 से चली आ रही लगभग 14 वर्षों पुरानी कानूनी लड़ाई का पर्दाफ़ाश हो गया है। मामले ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवेन्द्र सिंह ने प्रमुख रूप से पेरेवी की। जबकि उनके साथ अधिवक्ता रमेश सोधिया, संजय यादव, सत्यमान सिंह एवं राहुल सोधिया भी जुड़े रहे।